राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.5(3)राज-6/95/32 जयपुर, दिनांक:-12.9.2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 219 की उप-धारा (7) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि अधिनियम की धारा 183-ख सपठित तृतीय परिशिष्ठ के भाग-II क्रम संख्या-68-सी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि के अतिक्रमी की बेदखली हेतु संक्षिप्त जाँच की तहसीलदार पर अधिरोपित शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग बाँरा जिले की तहसील किशनगंज व शाहबाद में कार्यरत नायब तहसीलदार द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से ,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री / राजस्व सचिव ।
2. संभागीय आयुक्त, कोटा ।
3. जिला कलेक्टर, बाँरा ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को राजपत्र के विशेषांक दिनांक 12.9.2000 में प्रकाशनार्थ ।
7. "राविरा" राजस्व मण्डल , अजमेर ।
8. निबन्धक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9. विधि संहिताकरण विभाग ।
10. राजस्व (समन्वय) विभाग ।
11. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

मनोज/